Indian J. Soc & Pol. 03(01): 2016 :105-108 **ISSN 2348-0084(P)**
ISSN 2455-2127(O)

किशोरो के आपराधिक व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन

आनन्द कुमार कपिल[1]

[1]वरिष्ठ प्रवक्ता, मनोविज्ञान,एस0डी0पी0जी0 कालेज,मठ लार,देवरिया,उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

आज किशोरो का आपराधिक व्यवहार एक जटिल सामाजिक समस्या है । आधुनिक युग में सभी क्षेत्रो में व्यापक विकास हो रहे है । बढ़ते विकास में किशोरो में यौन अपराध एवं समाज विरोधी अपराध की स्थिति भी बढ़ती जा रही है । किशोर अपराध का अर्थ मात्र समाज विरोधी व्यवहार से नही है । किशोर अपराध 7 वर्ष की अवस्था से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था में किया जाता है । प्रत्येक देश में इसका आयु निर्धारण भिन्न– भिन्न है । प्राय 19 वर्ष की अवस्था में किया गया आपराधिक व्यवहार कानून के दायरे में आता है और उनके द्वारा अपराध किये जाने पर उन्हे सजा मिलती है । प्रस्तुत शोध पत्र में इन किशोरों के आपराधिक व्यवहार के मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयत्न किया गया है।

KEYWORDS: *अपराध, किशोर, आपराधिक व्यवहार, अपराध मनोविज्ञान*

मनोवैज्ञानिक (अल्बर्ट कोहन,1965) के अनुसार – किशोर अपराध उद्देश्य हीन होता है । जबकि सभी उद्देश्यपूर्ण होते है । एक किशोर अपराधी किसी विशेष आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपराध नही करता , बल्कि बिना किसी चिन्तन दृष्टिकोण से अपराध करता है ।इस प्रकार किशोर अपराध आकस्मिक होते है । यह मान्यता भारतीय परिवेश गलत सिद्ध होती है । हमारे देश में सभी प्रकार के अपराध किशोरो द्वारा किये जाते है । मीडिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत किशोरों अपराधियो से ग्रस्त है । अधिकांश अपराध लोग आर्थिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते है । जैसे – हत्या , चोरी एवं भ्रष्टाचार आदि । आधुनिक युग में किशोरो द्वारा किये गये अपराध आर्थिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए नही होते है । किशोर अपनी अल्पबुद्धि एवं अचेतन अभिप्रेरणा के वशीभूत होकर अपराध करते रहते है ।

समाज में किशोरो द्वारा समाज विरोधी व्यवहार के अन्तर्गत आपराधिक व्यवहार चिन्ता का विषय बना हुआ है । हर माता–पिता चाहते है कि उनकी सन्तान परिवार एवं समाज के नियमो के अनुसार व्यवहार करे किन्तु कुछ किशोर ऐसे होते उन्हे किसी की भी परवाह नही होती है।अक्सर वे अपने सांवेगात्मक अस्थिर होने पर आपराधिक करने के लिए तत्पर हो जाते है । इस प्रकार किशोरो के आपराधिक व्यवहार हमारे देश की गम्भीर समस्या बनी हुई है । विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षाविदो एवं सरकार द्वारा इस समस्या को गम्भीरता लेते हुए इसके उन्मूलन हेतु सकारात्मक प्रयास किये जा रहे है ।

समस्या– हिन्दू एवं मुस्लिम किशोर के आपराधिक व्यवहार का अध्ययन करना ।

उपकल्पना– हिन्दू एवं मुस्लिम के आपराधिक व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नही पाया जाता है ।

परिवर्ती–

स्वतन्त्र परिवर्ती– हिन्दू एवं मुस्लिम किशोर वर्ग

परतन्त्र परिवती– अपराधिक व्यवहार की स्थिति

उपकरण – साक्षात्कार एवं स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया ।

उद्देश्य – देवरिया , उ0प्र0 के 13से 19 वर्ष के हिन्दू एवं मुस्लिम किशोर के आक्रामक आपराधिक प्रवृत्ति के मापन के लिए 20–20 हिन्दू और मुस्लिम किशारो का शोध अध्ययन करना ।

विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने किशोरो के व्यवहार के सन्दर्भ में अपने विचार दिये है । मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने कहा है कि व्यक्ति में दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति पायी जाती है ।

1–इरोस जीवन मूल प्रवृत्ति –इस प्रवृत्ति के प्रभाव से किशोर अपने जीवन में रचनात्मक कार्य करता है । तथा सर्व कल्याण के लिए अपना व्यवहार करता है ।

2–थैनेटोस मृत्यु मूल प्रवृत्ति– इस प्रवृत्ति के प्रभाव से किशोर अपने जीवन में रचनात्मक कार्य न करके विध्वंसात्मक एवं आक्रामक व्यवहारक करता है ।

मनोवैज्ञानिक जीन पियोजे और अधिगम सिद्धान्तवादियों के अनुसार – अच्छी और बुरी आदतें दोनो प्रकार के व्यवहार पद्धति के प्रशिक्षण पर निर्भर करता है यदि कोई बालक किशोरावस्था में आगमन करता है तो इस अवस्था में वह अचानक नही पहुंचता है बल्कि विकास की प्रणाली धीरे–धीरे विकसित होती है । माता–पिता एवं पारिवारिक सदस्य तथा सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश इत्यादि की भूमिका होती है । बच्चे के शारीरिक क्षमता कठोर दण्ड सहन करने के लायक नही होती है ।

मनोवैज्ञानिक बैन्डुरा के अनुसार – बच्चे अपने आस–पडौस एवं अपने बड़ो के व्यवहार का अनुकरण करते है

1: Corresponding Author

तथा असामाजिक व्यवहार करने पर यदि उन्हे प्रोत्साहित किया जाता है तब वे इसकी पुनरावृत्ति करना चाहते है । इसके अतिरिक्त अपराध में परिस्थितिजन्य एवं सांस्कृतिक कारको को योगदान होता है । सहनशीलता की कमी , सकारात्मक सामाजिक अन्तःक्रिया का अभाव , मनोरंजन के साधनो की कमी , सामाजिक विभेदीकरण की स्थिति और सामाजिक सहिष्णुता का अभाव आदि है ।

मनावैज्ञानिक ताजफेल के अनुसार –हमारा समूह एवं पराया समूह के अन्तर से भी कुण्ठा उत्पन्न होती है । यही कुण्ठा किशोरों में आक्रामक एवं आपराधिक व्यवहार को जन्म देती है । अपने देश में जाति एवं धार्मिक सामाजिक समूह रचना का आधार है तथा इससे बने जाति समूह में विभेदी व्यवहार बढ़ जाते है । यह एक प्रमुख सामाजिक मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक समस्या है । अमीरी–गरीबी का इससे कोई सम्बन्ध नही है यदि ऐसा होता तो अमरीका में सर्वाधिक किशोर अपराध नही होते वही दूसरी ओर भूटान एवं नेपाल पूर्णतः आपराधिक व्यवहार में समा जाता ।

सेलिंगमैन एवं डाएनर के अध्ययन से भी स्पष्ट है कि गरीबी का अपराध से सीधा सम्बन्ध नही है । महानगरों में पुलिस गरीबो को शक की नजर से देखती है । श्वेत वसन अपराध की घटनाएं शहरों में घटित हो रही है । इसका कारण ऐसे किशोरो में कानून का भय नही होता है । अमीरी का घमण्ड में कुछ कहने में नही संकोच नही करते ।

मीडिया – जनसंचार द्वारा पाया गया कि मासूम किशोर वास्तविक एवं अवास्तविक के अर्थ को नही समझते ।टी0वी –फिल्म पर हिंसात्मक व्यवहार दिखाये जाते है । ऐसा देखने पर वे अपनी वास्तविक जिन्दगी में करने लगते है। वर्तमान में कई घटक किशोरो आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म देते है ।

किशोरो के आपराधिक व्यवहार के प्रकार

समाज में किशोर विभिन्न प्रकार के अपराध करते है जिनका विवरण निम्न प्रकार से है –

1–नशीले पदार्थो का सेवन – इसके अन्तर्गत किसी नशे की आदत डालना और अन्य साथी का नशे करने के विवश करना ।

2–चोरी करना –अनाश्यक खर्च हेतु घर या बाहर चोरी करना ।

3–यौन अपराध – इसके अन्तर्गत निम्न प्रकार के यौन व्यवहार के अपराध सम्मिलित है –

- विषय लिंगीय यौन व्यवहार –विपरीत लिंग के साथ ऐच्छिक या अनैच्छिक यौन क्रिया । जैसे– बलात्कार करना ।
- समलिंगीय –हस्तमैथुन , अश्लील फिल्म देखना , अश्लील बाते करना , पकड़ना , नोचना, , नंगापन
- अप्राकृतिक यौन व्यवहार – किसी पशु के साथ यौन क्रिया करना ।

4– समाज विरोधी अपराध – इसके अन्तर्गत निम्नांकित किशोरो में अपराध देखने मिलता है ।

- मारपीट करना – किसी बाते अपनी दबंगगिरी दिखाने के लिए हिंसक मारपीट का व्यवहार करना ।
- अपने बड़ो की बात की अवज्ञा करना – परिवार या स्कूल में किसी का आदेश का पालन न करना ।

5– किशोर व्यक्तित्व अपराध – इसमें निम्नांकित अपराध है।

- **आत्महत्या करना –** किशोरों में विंध्वात्मक प्रवृत्ति जब अपनी ओर होती है तब वह किशोर अपनी आत्महत्या करने का प्रयास करता है ।
- **झूठ बोलना–**अपनी मनगढन्त बाते बनाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु झूठ बोलना ।
- **हड़ताल करना** – अपनी बात को मनमाने के लिए किसी स्कूल–संस्थान में अपने गुट के साथ हड़ताल करना ।
- **बेइमान करना –** अपने चरित्र की दुर्बलता के कारण किसी के साथ बेइमानी करना ।
- **कक्षा में हुडदंग व सीटी बजाना** – जो किशोर पढ़ाई में मन नही लगाते है वे कक्षा में हुडदंग और सीटी बजाना कर अनाश्यक परेशान करना ।
- **सार्वजनिक स्थान पर तोड़फोड़ करना** – किशोर गलत संगति में अपने साथियों के साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर तोड़फोड़ करके नुकसान पहुंचाते है ।
- **स्कूल से भागकर आवारागर्दी करना** – कुछ किशोर स्कूल से भागकर किसी अन्य जगह पर आवारागर्दी करते है ।

किशोरो के आपराधिक व्यवहार के कारण

1– आनुवंशिक कारक – अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने किशोरो के अपराधिक व्यवहार के कारणों में वंशानुक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है ।

2–पर्यावरणीय कारक– इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कारक है ,जिनका विवरण निम्न प्रकार से है –

- **भग्न परिवार –** किसी मतभेद के कारण किशोर के माता–पिता अलग हो जाते है जिसका दुष्प्रभाव उनकी सन्तान पर पड़ता है ।
- **अशिक्षित माता–पिता –** परिवार में बच्चे क्या अध्ययन कर रहे है या नही इसकी जानकारी अशिक्षित माता–पिता को नही हो पाता है ।
- **पक्षपात–**किसी परिवार में माता–पिता किसी बच्चे के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार करते और अन्य बच्चे की उपेक्षा करते है । इसका दुष्प्रभाव उस किशोर पर पड़ता ह। ।

- **निम्न आर्थिक–सामाजिक स्तर** – किसी परिवार का निम्न आंर्थिक– सामाजिक स्तर निम्न होन के कारण किशोरो पर पूरा ध्यान नही दिया जाता है । जैसे– गरीबी , बेरोजगारी एवं भुखमरी के कारण किशोरो पर बुरा असर पड़ता है ।

3– स्कूलो की व्यवस्था– इसके अन्तर्गत स्कूल की निम्न लिखित कारण होते है –

- **अनुशासन की कमी** – किशोरो के आपराधिक व्यवहार के कारणों में स्कूल में अनुशासन की कमी होती है ।
- **दूषित पाठयक्रम** – किसी स्कूल का पाठ्यक्रम ऐसा होता है जिसमे कुछ किशोरो का मन नही लगता है ।
- **शिक्षको का दुर्व्यवहार** – किशोरो के साथ किसी शिक्षक का दुर्व्यवहार भी किशोर अपराध के लिए उत्तरदायी होता है ।

4– शारीरिक कारक –इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कारण है

- शरीर का असन्तुलित विकास होने पर उनके स्वभाव पर असर पड़ता है जैसे– किसी की अधिक लम्बाई का विकास या बहुत पतला होना ।
- शारीरिक दोष जैसे – लंगड़ापन , बहरापर आदि के कारण किशोरो में हीनताभाव पनतने लगता है ।
- यौन ग्रन्थियों का असन्तुलित विकास के कारण किशोरों यौन अपराध करने के लिए विवश हो जाते है ।

5–सामाजिक कारक– इसके अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक कारण है जिनका विवरण निम्न प्रकार से है । मनोवैज्ञानिक बैन्डुरा ने भी अपने अध्ययन में किसी व्यवहार को समाज में देखकर अनुकरण करता है । जैसे – हिंसक व्यवहार करते देख किशोर भी अपना रोल माडल बना लेते है ।

- **दूषित साहित्य का पढ़ना–** किशोर अपने पढ़ाई में मन न लगाकर अश्लील दूषित साहित्य पढ़ते है जिसका प्रभाव उनके मन पर पड़ता है ।
- **आस–पडौस का माहौल गलत होना** – परिवार में आस–पडौस के माहौल गलत होने पर किशोरो पर बुरा असर पड़ता है ।
- **सामाजिक कुप्रथाएं–** हमारे समाज में कुछ प्रथाएं ऐसी है जिसका असर किशोरो पर पड़ता है ।
- **मनोवैज्ञानिक कारण** – इसके अन्तर्गत किशोरो की मनोविकृति एवं मनस्ताप का होना ,मनोव्याधिकीय व्यक्तित्व , मन्दबुद्धि , अतृप्त इच्छाएं , संवेगात्मक अस्थिरता , प्रतिबल , समाज से तिरस्कृत एवं सामाजिक विद्रोह की भावना आदि कारण है ।

किशोरो के आपराधिक व्यवहार का शोध परिणाम प्रतिशत में

वर्ग	पुरूष किशोर	महिला किशोरी
हिन्दू	45	23
मुस्लिम	68	37

किशोरो के आपराधिक व्यवहार के परिणाम प्रतिशत से स्पष्ट है कि मुस्लिम वर्ग के किशोर –किशोरी में हिन्दू वर्ग के किशोर–किशोरी में आपराधिक एवं आक्रामक प्रवृत्ति पायी जाती है। इस प्रकार शोध हेतु बनायी गयी उपकल्पना असत्य सिद्ध होती है।

किशोरो के आपराधिक व्यवहार को रोकने के उपाय

1– परिवार की भूमिका – किशोरो के आपराधिक व्यवहार के रोकने के लिए निम्नलिखित बातो का होना आवश्यक है

- **स्नेहपूर्ण व्यवहार** – परिवार में अपने किशोर बच्चे के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए ।
- **उचित मार्गदर्शन** – माता–पिता अपने किशोर बच्चे के साथ उनके अच्छे व्यवहार के आवश्यक है कि वे उचित मार्गदर्शन दे ।
- **किशोरो का चरित्र निर्माण** – परिवार में प्रारम्भ से ही उनके चरित्र निर्माण करना चाहिए ।
- **परिवार का स्वस्थ वातावरण का निर्माण** – माता–पिता अपने सन्तान के अच्छे व्यक्तित्व विकास के लिए परिवार का स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना चाहिए ।
- **कुशल नियन्त्रण** –परिवार के अच्छे माहौल के लिए माता–पिता के आवश्यक है कि वे अपने किशोरो के साथ कुशल नियन्त्रण रखे ।

2– स्कूल की भूमिका

- भौतिक वातावरण स्वच्छ , सुन्दर एवं सन्तुलित होना चाहिए ।
- अनुशासन उत्तम और समुचित ढंग से पालन किया जाना चाहिए ।
- स्कूल में खेलकूद एवं अन्य पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओ का कराया जाना चाहिए ।
- उद्दण्ड किशोरो के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं सलाह की व्यवस्था किया जाना चाहिए ।

3– मनोविश्लेषणात्मक विधियां

- स्वतन्त्र साहचर्य – इसमे किशोरो से शब्द को बोलकर उनके मन मे छिपी भावना जानने के लिए सम्बद्ध शब्द की अनुक्रिया से जानना ।

- स्वप्न विश्लेषण – किशोर के अचेतन मन की दमित इच्छाएं स्वप्न के माध्यम से अभिव्यक्त होती है । इस प्रकार उनके स्वप्न को पूछकर जानकर निदान किया जाना चाहिए ।

4–मनोचिकित्सीय विधियां

- संवेगात्मक आघात की स्थिति से किशोरो की आपराधिक समस्या का निदान किया जाना चाहिए ।
- खेल–तकनीक के द्वारा किशोरो का उपचार किया जाना चाहिए ।

5– वैधानिक विधियां

- किशोर कारावास में उनके व्यक्तित्व में सुधार के लिए विशेष नजर रखना चाहिए । उन्हे अपने कृत्यो पर गलत होने का अहसास किया जाना चाहिए ।
- किशोर सुधारगृह में किशोरो को विभिन्न रचनात्मक कार्य कराकर उन्हे सुधारा जाना चाहिए ।

उपर्युक्त विधियों द्वारा किशोरो के अपराध को नियन्त्रण किया जा सकता । और उनके जीवन में मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है । ताकि वे राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे सके ।

वास्तव में किशोरों के बढ़ते आपराधिक व्यवहार के कारण समाज में सभी लोगो में दुश्चिन्ता बनी हुई है । आधुनिक युग में किशोरो द्वारा वे भी अपराध किये जाते है , जो पहले कभी वयस्क अपराधी किये जाते थे । उदाहरण के लिए दिल्ली के निर्भया बलात्कार काण्ड के एक किशोर अपराधी के रिहा होने पर अधिकांश लोगो में आक्रोश है । जिसके कारण अब किशोर अपराध की आयु 18 वर्ष से कम करके 16 वर्ष कर दी गयी है । लेकिन उम्र कम कर देने से अपराध कम नही होंगे । इसके लिए आवश्यक है कि घर–परिवार एवं विद्यालय में प्रारम्भ से ही उनमें नैतिकता का विकास हो । उनकी गतिविधियो पर विशेष नजर की आवश्यकता है ।

सन्दर्भ

Agarwal , K.G. (1961): Study of neuroticism among the convicts of parison , *Journal of correctional work* , 9

Allport , G.W. (1937): *Personality : A psychological interpretation* . New York : Holt

Singh . Ashok Pratap(1989): *Applied psychology* , M.P.S. Publication . Vanarasi ,

Bandura , A& Houston , A.C. (1961): Identification as a process of incidental learning . *Journal of abnormal and social pdychology* . 63 ,

Blank , L. (1958) : The intellectual Functioning of delinquents . *Journal of social psychology* . 47

Coleman J.C.(1982) : *Abnormal psychology and modern life* Bombay : D.B. Taraporevala .

Davis ,E. (1959): Explosive of episodic behavior disorders in children as epileptic eqievalint . *Medical Journal of Australia ,*

Eyesenk HJ , (1964): *Crime and Personality* . Routledge and kegan paul Ltd. London

Freeman F.R.&Novis A.H. (1969): *Temoral lobe sexual seizure Neurology* , 19

Haskell , M.R.& Yablonsky , Lewis , (1974): *Crime and delinquency* . Rand Mcnally . Chicago :

Kretscmer , E. (1936): *Physique and character* , Translated by W.J.H. sprott, London : Kegan paul . London

Little , A. (1963): Professor Eyesenck's theory of crime : An Empirical test on adole scent offenders . *British Jouranl of criminology* , 4

Rao , S.V. (1981): *Dyamics of crime : Spatial and socio_- economics aspects of crime* , Indian Institute of public administration . New Delhi

Sinha , A (1981) Personality of juvenile delinquents : A comparison of NSQ and EPI scores . *Indian Journal of clinical psychology , 8*

Taylor , R.S. (1960) *the habitual crime* . University Press . Chicago

बेबी कुमारी , किशोरो में बाल अपराध , आयुष्मान प्रकाशन , नई दिल्ली ।